प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.04.2024

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा विपक्षी पर दबाव बनाकर पैसे मांगने के उद्देश्य से स्वयं के अपहरण का षडयन्त्र रचने वाला अभियुक्त पत्नी सहित गिरफ्तार।

दिनांक 08.03.2022 को थाना इन्दिरापुरम पर वादिया द्वारा अपने पति राजेश पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम बिलंदपुर थाना कन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा का विपक्षीगणों हिमाशु चौधरी, विजेन्द्र चौधरी रविन्द्र चौधरी, रेखा चौधरी व रविशंकर पाण्डेय द्वारा अपहरण कर लेने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे एक अभियोग थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत कराया गया था। थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा टीमों का गठन कर **अपहृत** राजेश की बरामदगी हेतु लगातार सार्थक प्रयास किये जा रहे थे। मैनुअल इटेलिंजेंस तथा स्वाट टीम ट्रांस हिण्डन जोन की मदद से अपहृत राजेश उपरोक्त को दिनांक 19.04.2024 को ममता मोर्टस वृन्दा एंकलेव सेक्टर 13-17 हुड्डा पानीपत हरियाणा से सकुशल बरामद किया गया है।

अपहृत/अभियुक्त राजेश से पूछताछ का विवरण- अपहृत राजेश द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा सेक्टर 01 वसुन्धरा मे फ्लैट खरीदे किये गये जिनको लेकर बिल्डर्स से विवाद चल रहा था ,फ्लैट खरीदने के लिये मेरे द्वारा बैक से लोन लिया गया था जिसकी किस्त मेरे द्वारा समय से नही देने के कारण बैक द्वारा खरीदे गये फ्लैट को सील करने की कार्यवाही प्रचलित की गई थी। मेरे ऊपर बैक का कर्जा होने के कारण मेरे द्वारा अपनी पत्नी पुष्पा देवी के साथ मिलकर घर से गायब हो जाने तथा बिल्डर्स के विरुद्ध मेरा अपहरण होने के सम्बन्ध मे मेरी पत्नी द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने की योजना बनाई गई। पूर्व से बनायी गयी योजना/षडयंत्र के तहत दिनांक 24.02.2022 को मै अपने घर से अपनी पत्नी को जाने वाले स्थान के बारे मे बताकर निकल गया जिसके बाद मेरी पत्नी द्वारा बिल्डर्स पर दबाब बनाने तथा उनके विरुद्ध झूठा अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही का भय दिखाते हुए पैसे मागंने के उद्देशय से एक अभियोग मार्च 2022 मे थाना इंदिरापुरम पर अपहरण तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के बाद मै अपनी पत्नी से उचित माध्यमो से सम्पर्क कर पुलिस कार्यवाही के बारे मे जानकारी लेता रहता था तथा जब विपक्षी बिल्डर्स लोगो द्वारा मेरी पत्नी से इस सम्बन्ध मे बातचीत की गई तो पूर्व नियोजित पडयंत्र के तहत हमारे द्वारा बिलर्डस से पैसे मागे गये तथा उनके विरुद्ध लिखाये गये अभियोग मे फैसले की बात की गई। अपहृत राजेश मार्च 2022 से विभिन्न स्थानो पर अपनी पहचान छिपाते हुए नौकरी कर रहा था ,अप्रहत राजेश विगत 06 माह से कस्बा समालखा पानीपत स्थित इलैक्ट्रिक स्कूटी की एक एजेन्सी पर 7,000/- रु प्रतिमाह के हिसाब से नौकरी कर रहा था तथा अपने आप को पडयंत्र पूर्वक छुपा रहा था। अपहृत राजेश को सकुश बरामद करते हुए तथा उससे पूछताछ के बाद तथा विवेचना

के दौरान प्रकाश मे आये परिस्थितिजनक वैक्षानिक साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्त राजेश उपरोक्त व उक्त पंजीकृत अभियोग की वादिया श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी राजेश उपरोक्त को षडयंत्र रचकर,भय दिखाते हुए पैसे मांगने तथा पुलिस व मा0 न्याय0 के समक्ष गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने के आरोपो मे गिरफ्तार किया गया है जिनके विरुद्व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

1 राजेश पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम बिलंदपुर थाना कन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा

2. राजेश की पत्नि (वादिया)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम व स्वाट टीम ट्रांस हिण्डन जोन

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान विदेशी मूल के 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 फर्जी पासपोर्ट, 01 फर्जी पैनकार्ड, 03 बंग्लादेशी पहचान पत्र, 01 बैंक स्टेटमेन्ट, 04 मोबाइल फोन व 458/- रुपये बरामद।

दिनांक 20.04.2024 को थाना कौशांबी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर विदेशी मूल के 02 शातिर अभियुक्त 1. मो0 सूरत पुत्र अहमद **हाल निवासी** चमन का मकान सराय झाझन थाना सिकंदराबाद जिला बु0शहर उम्र 50 वर्ष, **मूल निवासी** गाँव कासिमपुर थाना राजारे जिला फरीदपुर ढाका बांग्लादेश 2. मो0 अल्ताफ उर्फ अल्तू कामा पुत्र अब्दुल सत्तार **हाल निवासी** शाहबुद्दीन गाजी का मकान सराय झांझन जमाईपुरा थाना सिकंदराबाद जिला बु0शहर उम्र करीब 60 वर्ष **मूल निवासी** वागमरा थाना सीपचोर जिला मदारीपुर ढाका बांग्लादेश को यूपी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 फर्जी पासपोर्ट, 01 फर्जी पैनकार्ड, 03 बंग्लादेशी पहचान पत्र, 01 बैंक स्टेटमेन्ट, 04 मोबाइल फोन व 458/- रुपये बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ विवरण</u> – अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछने पर बताया कि हम लोग दलाल के माध्यम से 10-10 हजार रूपये देकर भारत बंग्लादेश सीमा पार करके भारत में प्रवेश कर अलग-अलग प्रान्तों के बड़े-बड़े शहरों में भीड़-भाड़ वाली कॉलोनी में किराये पर कमरा लेकर रहने लगते हैं और वहीं पर अपने अन्य बांग्लादेशी साथियों को बुलाकर रखते है। जिनमें से कुछ साथी ऑनलाईन ठगी करने तथा कुछ डॉलर दिखाकर टप्पेबाजी में संलिप्त हो जाते है जो चलते-फिरते लोगो को लालच में लेकर ठगी कर अवैध रूप से धन अर्जित कर भारतीय करेन्सी को दलाल के द्वारा बांग्लादेशी करेन्सी में बदलकर बांग्लादेश भेज देते हैं। इसी तरह से हम दिल्ली, पंजाब व अन्य राज्यों में घटना कारित करते हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–</u>

1. मो0 सूरत पुत्र अहमद हाल निवासी चमन का मकान सराय झाझन थाना सिकंदराबाद जिला बु0शहर उम्र 50 वर्ष, मूल निवासी गाँव कासिमपुर थाना राजारे जिला फरीदपुर ढाका बांग्लादेश।

2. मो0 अल्ताफ उर्फ अल्तू कामा पुत्र अब्दुल सत्तार हाल नि0 शाहबुद्दीन गाजी का मकान सराय झांझन जमाईपुरा थाना सिकंदराबाद जिला बु0शहर उम्र करीब 60 वर्ष मूल नि0 वागमरा थाना सीपचोर जिला मदारीपुर ढाका बांग्लादेश।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से 01 फर्जी पासपोर्ट, 01 फर्जी पैनकार्ड, 03 बंग्लादेशी पहचान पत्र, 01 बैंक स्टेटमेन्ट, 04 मोबाइल फोन व 458/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा लूट व चोरी करने वाले 02 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 01 गले की चैन पीली धातू, घटना में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की मोटर साइकिल व लूट के 10300/- रुपये बरामद।

दिनांक 20.04.2024 को थाना टीला मोड की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर लूट व चोरी करने वाले 02 शातिर लूटेरे 1. गुड्डू उर्फ शादाब पुत्र श्री शेख अफसर निवासी म0न0 70, डी ब्लाक गली न0 03 कच्ची खजूरी थाना खजूरी खास दिल्ली उम्र 26 वर्ष, 2. लकी पुत्र श्री सुभाष वर्मा निवासी डी 212 गढ़ी मेन्डू भजनपुरा थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र 31 वर्ष को पर तिकोनो पार्क कोयल एन्कलेव से गिरफ्तार किया गाया जिसके कब्जे से 01 गले की चैन पीली धातू, घटना में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की मोटर साइकिल व लूट के 10300/- रुपये बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
अभियुक्तगणों से पूछने पर बताया कि हम राह चलते लोगो से मोबाइल, पैसे व कीमती सामान आदि चोरी व लूट लेते हैं और मौका मिलते ही राह चलते लोगो को बैच कर अच्छा मुनाफा कमाते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1 गुड्डू उर्फ शादाब पुत्र श्री शेख अफसर निवासी म0न0 70, डी ब्लाक गली न0 03 कच्ची खजूरी थाना खजूरी खास दिल्ली उम्र 26 वर्ष

2. लकी पुत्र श्री सुभाष वर्मा निवासी डी 212 गढ़ी मेन्डू भजनपुरा थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र 31 वर्ष।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

- **अभियुक्त गुड्डू उर्फ शादाब उपरोक्त के विरुध्द** गाजियाबाद व दिल्ली में लूट व स्नैचिंग आदि के कुल 14 अभियोग पंजीकृत है।
- **अभियुक्त लकी उपरोक्त के विरुध्द** दिल्ली में लूट के 02 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 01 गले की चैन पीली धातू, घटना में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की मोटर साइकिल व लूट के 10300/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से चोरी की एक मोटरसाईकिल बरामद।

दिनांक 20-04-24 को चेकिंग के दौरान, थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नगर राजनगर एक्स्टेन्शन पुस्ता रोड पर सिटी पार्क कटे के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया , जिसके कब्जे से 01 मो0सा0 चोरी की बरामद की गयी है, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह मो0सा0 मैने 04-05 दिन पहले ही हिन्डन विहार क्षेत्र से चोरी की थी। पुलिस से बचने के लिए मैने इस पर फर्जी रजि0नं0 प्लेट लगा ली थी।

अभियुक्त का नाम व पता--

सनी उर्फ सन्नी पुत्र रमेश, निवासी गली नंबर 05, 30 फुटा रोड, दीनदयालपुरी, थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र लगभग 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण—

01 मोटरसाईकिल चोरी की

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।